



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION
CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।



संख्या: 32-पारे0अनु0-04बी/पाट्टाकालि-2025/20/2009 टी0सी0-11

दिनांक: 27 जनवरी, 2025

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण/जानपद),
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 27.01.2025 से सभी जनपदों एवं परियोजना मुख्यालयों पर कैण्डल मार्च, विरोध सभा/आन्दोलन एवं दिनांक 31.01.2025 को यज्ञ किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र० द्वारा जारी पत्र सं०-254/संघर्ष दिनांक 25.01.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० के ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफार्म के विरोध में दिनांक 27.01.2025 से सभी जनपदों एवं परियोजना मुख्यालयों पर कैण्डल मार्च, विरोध सभा/आन्दोलन एवं दिनांक 31.01.2025 को यज्ञ करने का निर्णय लिया गया है।

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या-866-24-पी-2-24-1(121)/04, दिनांक 06.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश को ट्रांसको (मु०) के पत्र संख्या-721-पारे0अनु0-04बी/पाट्टाकालि-2024, दिनांक 11.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी निदेशकों एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह आन्दोलन/प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु, अवैधानिक भी है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र० द्वारा दिनांक 27.01.2025 से सभी जनपदों एवं परियोजना मुख्यालयों पर कैण्डल मार्च, विरोध सभा/आन्दोलन एवं दिनांक 31.01.2025 को यज्ञ करने के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत उपकेन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मुकुल सोनकर)

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

संख्या: 32(1)-पारे0अनु0-04बी/पाट्टाकालि-2025, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अनु सचिव (पारेषण-04ए), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. अधिशाली अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(अवनीश कुमार त्रिवेदी)

उप सचिव (पारेषण-द्वितीय)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

41/557, डा0 तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ – 226001

पत्र सं. – 254/संघर्ष
सेवा में,

25.01.2025

मा. मुख्यमंत्री जी,
उप्र सरकार,
लखनऊ।


विषय :- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के पत्र सं0 234/संघर्ष दिनांक 02.12.2024, पत्र सं0 235/संघर्ष दिनांक 04.12.2024, पत्र सं0 236/संघर्ष दिनांक 06.12.2024, पत्र सं0 238/संघर्ष दिनांक 08.12.2024, पत्र सं0 240/संघर्ष दिनांक 11.12.2024, पत्र सं0 246/संघर्ष दिनांक 22.12.2024, पत्र सं0 247/संघर्ष दिनांक 22.12.2024, पत्र सं0 248/संघर्ष दिनांक 24.12.2024, पत्र सं0 249/संघर्ष दिनांक 26.12.2024, पत्र सं0 250/संघर्ष दिनांक 08.01.2025 एवं पत्र सं0 253/संघर्ष दिनांक 16.01.2025 को संदर्भित करने की कृपा करें।

2. अत्यन्त खेद का विषय है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के साथ 05 अप्रैल 2018 एवं 06 अक्टूबर 2020 को हुए लिखित समझौते का खुला उल्लंघन करते हुए निजीकरण की प्रक्रिया हेतु 13 जनवरी 2025 को टेण्डर नोटिस प्रकाशित की गयी है जिससे बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अभियन्ताओं में भारी रोष व्याप्त हो गया है।
3. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र द्वारा लिये गये निर्णयानुसार हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विद्युत कर्मों किसी भी परिस्थिति में निजीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि निजीकरण की प्रक्रिया हेतु जारी की गयी टेण्डर नोटिस को तत्काल निरस्त करने की कृपा करें।
4. हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि यदि निजीकरण की प्रक्रिया हेतु जारी टेण्डर नोटिस को तत्काल निरस्त न किया गया तो बिजली कर्मों 27, 28, 29 एवं 30 जनवरी 2025 को राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपदों में सभायें कर मोमबत्ती जुलूस निकालेंगे और 31 जनवरी को प्रबन्धन को सदबुद्धि देने हेतु बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किये जायेंगे।
5. महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है। बिजली कर्मियों ने 05 जनवरी को प्रयागराज में हुई बिजली पंचायत में शपथ ली थी कि वे महाकुंभ के दौरान श्रेष्ठतम बिजली आपूर्ति का कीर्तिमान बनायेंगे। इस दृष्टि से संघर्ष समिति ने यह निर्देश दिया है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान के दृष्टिगत प्रयागराज के सभी बिजली कर्मों 27, 28 एवं 29 जनवरी को दिन-रात कार्य करेंगे और मौनी अमावस्या के स्नान के दिन श्रेष्ठतम बिजली आपूर्ति का कीर्तिमान बनायेंगे जिसपर गर्व किया जा सके।
6. यदि बिजली के निजीकरण का निर्णय वापस न लिया गया तो बिजली कर्मों व्यक्तिगत तौर पर प्रबन्धन को यह लिखकर देंगे कि वे किसी भी कीमत पर निजी क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे। 01 फरवरी को लखनऊ में संघर्ष समिति के सभी घटक श्रमसंघों की बैठक होगी जिसमें आगे के कार्यक्रम घोषित किये जायेंगे।

आदर सहित,


भवदीय


(जितेंद्र सिंह गुर्जर)
महासचिव


उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ



हरीश कुमार पाण्डेय
महामंत्री


विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र



(महेन्द्र राय)
मुख्य महामंत्री


उप्र बिजली कर्मचारी संघ



(पी के दीक्षित)
प्रमुख महामंत्री
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र



(सुशिल जोषी)
महामंत्री
उप्र बिजली मजदूर संगठन



(राजेंद्र प्रसाद धिल्डयाल)
प्रदेश अध्यक्ष
उप्र विद्युत मजदूर संघ



(मोहम्मद बसीम)
केन्द्रीय महासचिव
रा.वि.प.प्राविधिक कर्मचारी संघ, उप्र



(छाट लाल दीक्षित)
प्रान्तीय अध्यक्ष
विद्युत कर्मचारी मोंर्चा संगठन, उप्र


(आर वाई शुक्ला)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर संगठन, उप्र



(योगेश कुमार)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उप्र



(विशम्भर सिंह)
महामंत्री
यूपी बिजली इम्प. यू. उप्र(सीटू)


(राम सहारेवर्मा)
प्रान्तीय महामंत्री
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उप्र


(पी एस बाजपयी)
अध्यक्ष
उप्र रा.वि.प. श्रानिक संघ


(जी.पी. सिंह)
महामंत्री
विद्युत पैरामेट्रिकल एसोसिएशन


(रफीक अहमद)
महामंत्री
बिजली मजदूर यूनियन उप्र
(एचएमएस)


(देवेंद्र पाण्डेय)
महामंत्री
उप्र पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा
कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में :-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उप्र सरकार, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उप्र पाकालि/उप्र पाट्टाकालि/उप्र राविउनिलि, लखनऊ।
5. उपश्रमायुक्त, लखनऊ।



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION
CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।



संख्या: 721-पारे०अनु०-०४बी/पाट्राकालि-2024/20/2009 टी०सी०-III

दिनांक: 11 दिसम्बर, 2024

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण/जानपद),
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय- "उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966" के अन्तर्गत 06 माह के लिये हड़ताल निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० शासन से प्राप्त अधिसूचना आदेश संख्या-866/24-पी-2-24-1(121)/04, दिनांक: 06 दिसम्बर, 2024 (संसलग्नक छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ०प्र० शासन ने "उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966" के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में उक्त आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये हड़ताल निषिद्ध की है।

अतः उपरोक्त संदर्भित आदेश की संलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्नकर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Satyarth
(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण-तृतीय)
सा.स.

संख्या: 721 (1)-पारे०अनु०-04बी/पाट्राकालि-2024, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Satyarth
(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण-तृतीय)
012
सा.

3044
09-12-24

No 2855...MD/UPPTCL
Date: 9.12.24

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या-866/24-पी-2-24-1(121)/04

लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2024

गती: 721-पारो3अनु04/पदाकानि/2024
पत्रावली सं०
कठरि०

अधिसूचना

आदेश

कि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुसूचण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या-814/24-पी-2-2024, दिनांक 04.07.2024 को अवकमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ 4-कानपुर एलईडिआरि सप्लाय कम्पनी, कैम्पली, कैम्पली, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ 6-पूवांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरख 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बनारस और 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रर लिदेश दते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जावे।

DM (PA), UNCLTCL

सर्वेश कुमार सिंह
सयुक्त सचिव।

(रमवीर प्रसाद) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय शाखा ऐशवाग, लखनऊ को अग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित प्रकृत निदेशक के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 07.12.2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट 3090पारो3अनु04/पदाकानि में प्रकाशित कराकर 250 मुह्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करने का कह करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त गैर को लौड दिया जाये।

आज्ञा से

सर्वेश कुमार सिंह
सयुक्त सचिव।

DS(T-III)

9/12

(मुकुल सोनकर)

निदेशक (कां० एवं प्रशा०)

50-094
Satyarth
9/12

श्री सुजित

9/12.2024

श्री सुजित

कृपया सुजित

Smit

9/12/24

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 866/24-P-2-2024-1(121)/04, Dated 06.12.2024

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
No 866/24-P-2-2024-1(121)/04
Lucknow Dated 06.12.2024

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor, by Superseding the Previous Notification No 814/24-P-2-24, Dated 04.07.2024, is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow. 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow. 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow. 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO). 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow. 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi. 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut. 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra. 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By Order,

SARVESH KUMAR SINGH
JOINT SECRETARY